विद्युत लोकपाल रायपुर छत्तीसगढ़
(पीठासीन अधिकारी – एस.के.सोनी)

अपील प्रकरण क्र. 04/2026

संस्थित दिनांक 10/03/2026

श्री पुरूषोत्तम साहू, पिता श्री रमेसर साहू
निवासी क्वॉटर नंबर एफ/1493 सी.एस.ई बी.
दर्री कोरबा
वर्तमान पताः– हाल मुकाम जांजगीर वार्ड क्र. 24
अमरैया पारा, जांजगीर चांपा (छ.ग) ..... अभ्यावेदक/अपीलकर्त्ता

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (शहर) संभाग
   छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या.,
   कोरबा (छ.ग)
2. सहायक अभियंता (दर्री जोन)
   छ.ग.रा.वि.वितरण कंपनी मर्या.
   कोरबा (छ.ग) ..... अनावेदकगण

आदेश
(दिनांक 18/08/2026 को पारित)

1. यह अपील विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बिलासपुर (जिसे आगे विद्युत फोरम कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण क्र. BSP/25013 पक्षकार श्री पुरूषोत्तम साहू विरूद्ध कार्यपालन अभियंता (शहर) संभाग छ.ग.रा.वि.वितरण कंपनी मर्या कोरबा व अन्य एक (छ.ग) में पारित आदेश दिनांक 11/12/2025 को निरस्त कर अपीलार्थी द्वारा विद्युत देयक पेटे जमा की गई अतिरिक्त राशि को वाद व्यय एवं अन्य खर्चो सहित प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. मामले में उभय पक्षों के मध्य इन तथ्यों पर विवाद नही है कि अभ्यावेदक/अपीलार्थी सी.एस.ई.बी. में PS III ग्रेड कर्मचारी था जिसे विभाग द्वारा क्वॉटर नंबर एफ/1493 का मकान अंबटित किया गया था। उक्त मकान में लगे हुये विद्युत कनेक्शन का बी. क्र. 1000443750 है। उक्त विद्युत कनेक्शन दिनांक 13/03/2015 को स्थापित किया गया था। इस तथ्य को भी विवादित नही किया गया है कि अभ्यावेदक/अपीलार्थी दिनांक 02/02/2021 को सेवानिवृत हो चुका है और उसके द्वारा उक्त क्वॉटर खाली करते समय परिसर में स्थापित मीटर का फाईनल रीडिंग 23492 Kwh था। बाद में इस तथ्य को भी चुनौती नही दी गई की मीटर का फाईनल रीडिंग 21268 Kwh पाया गया।

3. अभ्यावेदक/अपीलार्थी द्वारा फोरम के जिस आदेश दिनांक 11/12/2025 को चुनौती दी गई है, उस आदेश के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उत्तरवादी विद्युत कंपनी ने अभ्यावेदक/अपीलार्थी को अतिरिक्त देय 13721/– रू. (तेरह हजार सात सौ इक्कीस रू. मात्र) के पुनरीक्षित देयक को शीघ्रातिशीघ्र उच्च कार्यालय से अनुमोदित कराकर अभ्यावेदक/अपीलार्थी के एक अन्य सर्विस क्रमांक में समायोजित करने का आदेश दिया है। अभ्यावेदक/अपीलार्थी के द्वारा 13721/– (तेरह हजार सात सौ इक्कीस रू. मात्र) रू की गणना के विरूद्ध कोई विश्वसनीय गणना प्रस्तुत नही की गई है किंतु ऐसा प्रकट होता है कि उक्त गणना में Surcharge को नही जोड़ा गया है। अस्तु Surcharge के अतिरिक्त गणना के संबंध में 13721/– रू (तेरह हजार सात सौ इक्कीस रू. मात्र) की देनदारी को सही माना जा सकता है और इस संबंध में फोरम के आदेश में कोई त्रुटि नही है किंतु प्रत्येक माह बिना मीटर की रीडिंग लिये भेजे गये औसत बिलों में Surcharge का जोड़ा जाना औचित्यपूर्ण नही है। मीटर की रीडिंग कर

वास्ताविक बिल भेजने का उत्तरदायित्व उत्तरवादी विद्युत कंपनी का है। उसकी इस त्रुटि के लिए उपभोक्ता को दंडित नही किया जा सकता। अस्तु इस बिंदु पर कोई संदेह नही है कि जब से अभ्यावेदक/अपीलार्थी को संदर्भित विद्युत कनेक्शन पेटे औसत बिल भेजा गया और जब तक भेजा गया उतनी अवधि के बिलों में जो Surcharge लगाया गया वह अनुचित है। इसकी अदायगी के लिए अभ्यावेदक/अपीलार्थी उत्तरदायी नही है। अस्तु इस अवधि का Surcharge की राशि भी उत्तरवादी विद्युत कंपनी से अभ्यावेदक/अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में फोरम ने अपने आक्षेपित आदेश में अनुतोष प्रदान न कर त्रुटि की है।

4. अभ्यावेदक/अपीलार्थी ने वाद व्यय एवं अन्य खर्च की भी मांग की है। अन्य खर्चों में तर्क के दौरान आर्थिक एवं मानसकि क्षति चाही है। उक्त संबंध में अभ्यावेदक/अपीलार्थी ने फोरम के समक्ष भी प्रार्थना की है किंतु फोरम ने उक्त संबंध में अपने आक्षेपित आदेश में कोई आदेश प्रदान नही किया है। फोरम को यह चाहिए था कि वह इस संबंध उचित आदेश प्रदान करता। फोरम को यह भी आदेश प्रदान करना था कि उसके आदेश का पालन कितनी अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और विहित अवधि के भीतर आदेश का पालन न होने पर ब्याज देना होगा। ऐसा आदेश न होने के कारण ही फोरम के आदेश दिनांक 11/12/2025 का पालन आज दिनांक तक नही हो पाया है। परिणामतः मामले की प्रकृति और उसके लंबनावस्था के मदेद्नजर मैं आर्थिक क्षति/वाद व्यय के रूप में 3000/– रू (तीन हजार रू. मात्र) की राशि और मानसिक क्षति के रूप में 2000/– रू (दो हजार रू. मात्र) की राशि सुनिश्चित करता हूँ।

5. इस प्रकार मैं यह पाता हूँ कि अभ्यावेदक/अपीलार्थी उत्तरवादी विद्युत कंपनी से निर्धारित 13721/– रू, (तेरह हजार सात सौ इक्कीस रू. मात्र) आर्थिक एवं मानसिक क्षति के रूप में 5000/– रू (पांच हजार रू. मात्र) तथा संबंधित विद्युत कनेक्शन पेटे जब से अभ्यावेदक/अपीलार्थी को औसत बिल भेजा गया और जब तक भेजा गया उतनी अवधि का लगाया गया Surcharge प्राप्त करने का अधिकारी है। मैं यह भी पाता हूँ कि अभ्यावेदक/अपीलार्थी उक्त राशि इस आदेश दिनांक से दो माह के भीतर प्राप्त करने का अधिकारी है और यदि इस अवधि के भीतर उक्त राशि अदा नही की जाती है या अभ्यावेदक/अपीलार्थी के अन्य किसी विद्युत कनेक्शन के बिलों में समायोजित नही की जाती है तो देय संपूर्ण राशि पर 2 प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी अभ्यावेदक/अपीलार्थी है।

6. उपरोक्त समस्त विवेचन उपरांत मैं विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बिलासपुर के आदेश दिनांक 11/12/2025 को निम्नानुसार संशोधित करता हूँ और आदेशित करता हूँ कि उत्तरवादी विद्युत कंपनी इस आदेश दिनांक से 2 माह के भीतर अभ्यावेदक/अपीलार्थी को निर्धारित 13721/– (तेरह हजार सात सौ इक्कीस रू मात्र), आर्थिक एवं मानसिक क्षति के रूप में 5000/– (पांच हजार रू. मात्र) तथा जब से अभ्यावेदक/अपीलार्थी को औसत बिल भेजा गया और जब तक भेजा गया उतनी अवधि का लगाया गया Surcharge अदा करे। इस आदेश दिनांक से दो माह के भीतर यदि उक्त संपूर्ण राशि अदा नही की जाती है तो देय संपूर्ण राशि पर आदेश दिनांक से 2 प्रतिशत मासिक की दर से ब्याज देय होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त राशि विहित अवधि के भीतर

अभ्यावेदक / अपीलार्थी के अन्य किसी विद्युत देयक में समायोजित नही की जाती है तो उक्त राशि नगद अदा की जावेगी।

उपरोक्तानुसार अभ्यावेदन निराकृत किया गया।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

निर्णय घोषित किया गया

–सही–
(एस.के. सोनी)
विद्युत लोकपाल

–सही–
(एस.के. सोनी)
विद्युत लोकपाल